Title: Discussion on the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1999, moved by Shri Ram Jethmalani on the 16th December, 1999. (Contd.-concluded).

16.19 hrs.

MR. CHAIRMAN : The House shall now take up Item No.14. Shri Prabhunath Singh to continue.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): सभापति जी, सिविल प्रक्रिया संहिता संशोधन विधेयक १९९९, जो मंत्री जी द्वारा पेश किया गया है, मैं उसके समर्थन में बोल रहा हूं। पहले भी इस पर काफी बातें हो चुकी हैं। इस बिल में मैंने पूर्व में जहां न्यायालयों में जजों की रिक्तियों के मामले के निपटारे के लिए मध्यस्थता और हलफनामे की चर्चा की थी, अब मैं ओथ कमिश्नर के सामने साक्षय प्रक्रिया का जो जिक्र किया गया है, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। न्यायालयों में ओथ कमिश्नर जो बहाल किए जाते हैं, वे वकील होते हैं। खासकर जो अच्छे वकील होते हैं, जिनके पास लोग जाते हैं, वे ओथ कमिश्नर नहीं बनना चाहते। जिन अधिवक्ताओं की प्रैक्टिस नहीं चलती, वे ओथ कमिश्नर बनते हैं। उन लोगों के सामने साक्षियों का साक्षय लिया जाता है। बहुत से ऐसे ओथ कमिश्नर होते हैं, जहां ओथ करने वाले नहीं जाते। उनकी फीस बंधी होती है, वे फीस लेकर दस्तखत कर देते हैं। इस तरह के साक्षय में मुझे लगता है न्याय पाने में बड़ी कठिनाई होगी। अगर न्यायालयों में ओथ कमिश्नर के साक्षय की ही व्यवस्था करनी है तो हम चाहेंगे कम से कम कार्यपालक के सामने दंड की व्यवस्था होनी चाहिए, ओथ कमिश्नर के पास उचित नहीं है।

अंतरिम राहत के सम्बन्ध में मंत्री जी ने कहा था कि जब कोई व्यक्ति इसके लिए न्यायालय जाएगा तो उसे पैसा जमा करना होगा। यह ठीक है कि अंतरिम राहत में काफी गड़बड़ियां हैं। जहां तक मुझे स्मरण है, बिहार में पानापुर थाने का एक मुकदमा १९९५ से लम्बित है। उसमें पुलिस आरोप पत्र समर्पित करने जा रही थी, आदेश हो चुका था, वहां के अभियुक्त द्वारा हाई कोर्ट में जाकर एक पीटिशन फाइल की गई और उसे अंतरिम राहत दे दी गई कि जब तक न्यायलय का फैसला नहीं होगा, तब तक यह कार्यवाही स्थगित रहेगी। आज तक वह फैसला लम्बित है और पुलिस का आरोप पत्र दाखिल नहीं हुआ है। यह बात ठीक है कि उसमें कहीं न कहीं कठिनाई होती है, लेकिन अंतरिम राहत के माध्यम से पैसा जमा कर अंतरिम राहत देना उचित नहीं होगा। जिनके पास पैसा है, वे पैसा जमा कराकर यह सुविधा पा सकते हैं। जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, उनको अंतरिम राहत नहीं मिलेगी। इसलिए हम चाहेंगे अंतरिम राहत के मामले में मंत्री जी स्पष्ट कानून बनाएं कि जिन मामलों में अंतरिम राहत दी जाए, उनकी समय सीमा तय कर दी जाए, जिससे वह केस डिसपोज हो जाए, अंतरिम राहत के माध्यम से यह न हो, नहीं तो गरीब लोगों, गांव के लोगों को न्याय नहीं मिल पाएगा। सम्मन की समय सीमा, मंत्री जी ने घटाने की बात कही है।

हम मंत्री जी को बधाई देंगे, निश्चित तौर पर समन की समय-सीमा घटानी चाहिए। लेकिन हम मंत्री जी से एक निवेदन यह भी करेंगे कि समन की जो तामील करने की प्रक्रिया है, आप उस पर गौर करें। आप कभी समन पुलिस के माध्यम से भिजवाते हैं और कभी न्यायालय का चपड़ासी देने जाता है। मैं उस प्रक्रिया में सच्चाई और व्यावहारिक बात बताना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति के यहां समन जाना चाहिए वहां नहीं जाता है और बीच में ही कोई व्यक्ति ५०-१०० रुपए चपड़ासी को देकर उनके घर पर समन का कागज टांग देता है और वह वापस आ जाता है। इसलिए कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि ऐसे मुकदमों में एकतरफा न्याय हो जाता है। जो न्यायालय में न्यायाधीश बैठता है वह उन्हें गुस्सा होता है कि हमने समन भेजा और इसने तामील नहीं किया। इसलिए गुस्से और आक्रोश में उनका न्याय होता है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिस व्यक्ति के नाम से समन जाता है वह तामील करे। अगर वह जानबूझ कर एवाइड करता हो तो उसके किसी निकट संबंधी को भी तामील करा देना चाहिए ताकि उस व्यक्ति को जानकारी हो कि हमारे मामले में सुनवाई की तिथि यह है, हमें न्यायालय ने आदेश दिया है, हमें बुलाया है। अगर समन की तामील की प्रक्रिया में ठीक व्यवस्था नहीं की गई तो हम आपसे कहेंगे कि बराबर एकतरफा न्याय होता रहेगा और न्याय सही ढंग से नहीं हो पाएगा।

महोदय, हम एक-दो मामले और बताना चाहते हैं। कभी-कभी यह देखने को मिलता है कि किसी मुकदमें में जितने दिन की सजा होती है उससे ज्यादा दिन अभियुक्त जेल में रह जाता है। ऐसे ही एक बंगाल का मामला राष्ट्रीय सहारा अखबार में १६ तारीख को निकला था। इसमें लिखा हुआ था- '३७ वर्ष से जेल में बंद कैदी के मामले की न्यायिक जांच के आदेश।' आपके यहां धारा ३०२ के मुकदमे में ज्यादा से ज्यादा फांसी होती है या आजीवन कारावास की सजा करते हैं।

... (व्यवधान)

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): If you do not mind, I would remind you that this Bill deals with Civil Procedure. We are not discussing Criminal Procedure now.

जब क्रिमिनल प्रोसिजर कोड का सवाल आएगा तो आपकी सब बातें ध्यान में रखी जाएंगी।

MR. CHAIRMAN : Shri Prabhu Nath Singh, you had taken nine minutes the other day. Kindly conclude. You have taken maximum time.

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : महोदय, मैं आपको सेठी कमीशन की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। जो सेठी कमीशन की रिपोर्ट आई है, प्रधानमंत्री जी और लॉ मंत्री जी को दी गई है, उसमें सेठी कमीशन ने बहुत सी अनुशंसाएं की हैं। उन अनुशंसाओं में जहां न्यायिक पदाधिकारियों की कमी के बारे में कहा गया है, वहीं उनकी सुविधा से संबंधित बातों पर चर्चा की गई है और उनकी उम्र भी ५८ साल से ६२ साल करने की बात की गई है। यह माना जाता है कि न्यायिक प्रक्रिया में विलम्ब का कारण न्यायपालिका में न्यायाधीशों आदि की कमी है, खास कर बिहार में १९९० के बाद न्यायपालिका नियुक्ति नहीं हो पाई है। न्यायपालिका में नियुक्ति न होने के कारण वहां सही ढंग से केसों का निपटारा नहीं हो पाता है। नवम्बर और दिसम्बर के महीने में ज्यादा से ज्यादा लोग रिटायर होते हैं। हमें लगता है कि बिहार में रिटायर होने वालों की जो संख्या है, उनके रिटायर होने के बाद बहुत से मामले इसी तरह पैंडिंग रह जाएंगे। अगर सेठी कमीशन की रिपोर्ट को आप लागू करना हो, मैं नहीं जानता कि सरकार इस पर क्या करना चाहती है। हम चाहेंगे कि जो लोग दिसम्बर की लिस्ट में रिटायर होने वाले हों उन पर रोक लगा देनी चाहिए, अन्यथा जजों की बहाली की प्रक्रिया शुरु करानी चाहिए ताकि मामले का निपटारा जल्दी और सही ढंग से हो सके।

महोदय, इन्हीं बातों के साथ मैंने जो सुझाव दिए हैं, मुझे विश्वास है कि मंत्री जी हमारे सुझावों पर गौर करेंगे और जो बात मानने लायक होगी उसे निश्चित रूप से मानेंगे। हम चाहेंगे कि आप अपने जवाब के समय हमें और सदन को संतुष्ट कराने की कृपा करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद ।

SHRI T.M. SELVAGANPATHI (SALEM): Hon. Chairman, Sir, I am thankful to you for having given me this opportunity to speak on the Code of Civil Procedure (Amendment) Bill, 1997.

">Before I support this Bill, I would like to state that there are varying opinions with regard to the amendments which the Government seek to propose before this august House. Of course, there cannot be two opinions with regard to the law delays. Justice delayed is justice denied. This maximum is known to the legal luminaries like Shri Ram Jethmalani, and also known to the Hon. Chairman who is a senior advocate in the Madras High Court...(Interruptions)

">MR. CHAIRMAN : Justice hurried is justice buried.

">... (Interruptions)

">SHRI T.M. SELVAGANPATHI : Justice must not only be done but justice must seem to be done. If I may be permitted to quote my own case, I would like to state that my father was subjected to a civil litigation in 1971 which is still pending and probably my grandson would come to complete the process. So, this is the situation now.

">Sir, as per a Report, there are twenty million cases which are pending in various courts. Then, why is this piecemeal legislation brought forward? Of course, a prolonged deliberation must have gone into it. A Committee, which sat on this issue, had decided about all these amendments. The hon. Minister also accepted that this is not the only solution. There has to be a Conference on legislation in order to remove the manner of the law delays. If this is not the only solution, then what else is required? If the hon. Minister like Shri Ram Jethmalani cannot do it, nobody else can do it.

">There are many legal experts in this country including our hon. Chairman who is a constitutional expert. There has been a continuous demand for a Judicial Commission. As the learned Member Shri Radhakrishnan has pointed out the other day, a number of vacancies exist. All these vacancies have to be filled up. But there are cases in various States where they hurry in filling up the vacancies. They hurry up in order to benefit the persons of their liking. They are doing it according to their whims and fancies. So, that also has to be taken into consideration.

">My point is that instead of attempting a piecemeal legislation, we should try for increasing the number of courts. We should try to fill up all the vacant seats which exist in the courts. If the number of the courts is increased, if more courts are instituted, then the delay could be reduced to a large extent. Therefore, in this context, I would like to draw the attention of the hon. Minister to one thing. Having given me an opportunity to speak on this Bill, I would also like to seek for an establishment of a separate Supreme Court Bench in the Southern States and the Headquarters may be placed in Chennai. It would benefit about 25 crore people. This demand has been pending for an innumerable number of years. Decade after decade we have been raising this demand. Why should a person from Kanyakumari or why should a person from Sikkim come down to Delhi which is very costlier? To file a litigation, many litigants lose the opportunity where the decision-making court is established in Delhi, where the dispute involves a question of law. The Supreme Court deliberates in respect of many of these cases. Because of paucity of funds and because of the situation of a majority of this nation, it has happened all these years...(Interruptions) Whether it is to be established at Hyderabad or any place, let us come to a unanimous decision. First, let us have a Bench in the Southern part of India - whether it is at Hyderabad or any other place. Let us have a separate Bench in the North-East also.

">SHRI K. YERRANNAIDU (SRIKAKULAM): It may be established at Hyderabad which is a convenient place. From almost everywhere, it is one hour''s journey to reach Hyderabad...(Interruptions)

">SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I may agree to disagree.

">But this is essential now because 25 crore people of the southern part of the country will be benefited by the setting up of this Bench. Since we do not have a Supreme Court Bench in the southern part of our country now, many people have been losing the opportunity of coming down to the Supreme Court to have justice.

">Sir, the subject in one Unstarred Question, which my learned friend from Periyakulam, Shri T.T.V. Dhinakaran had posed before you, was with regard to the setting up of a High Court Bench at Madurai in the State of Tamil Nadu, the lack of which also involves the question of law delay. The sanction for the setting up of this Bench was accorded in the year 1995 and during the period of six months when our dynamic leader, Dr. Puratchi Thalaivi was in power we had processed the acquisition of land, but, unfortunately, when another Government came to power, acquisition of land is pending for almost five years now. So, I would request the hon. Minister to pull up the Government, the Government which sleeps. He has to awaken the Government. If it takes five years to acquire land for setting up a High Court Bench, then you can imagine the concern of that Government which it is having for law delay. (Interruptions) I am not accusing anybody. I want them to correct their mistake. This is very important to expedite the pending cases.

">Coming to the core of this Bill, Section 102 of the principal Act relates to second appeal. I may be permitted to quote that Section. It says:

">"No second appeal shall lie from any decree, when the amount or value of the subject-matter of the original suit does not exceed twenty-five thousand rupees." This section deals with the original suit. We would be happy and we would not mind if it deals only with the money suit or a mortgage suit, because the right of appeal to a person is ensured in our legal system. But this Section curtails the right of appeal to a person. I would even say that it would be unconstitutional; there are provisions to substantiate this. But why should we take away this right? For us, one rupee may not be significant; it may be a pittance, but for a poor farmer, for a man from the village, the amount of Rs.25,000 is very big. So, why should he be deprived of a provision for appeal in the name of law delays? Our country is based on agrarian economy, dominated by farmers and majority of them are poor. If they are subjected to a litigation and the amount of the subject-matter of the original suit is less than Rs.25,000, they cannot appeal to a higher forum. So, this has to be removed, considering the socio-economic conditions of our nation.

">Secondly, this also applies to a title suit. Under the Court Fee Act, agricultural land is valued on the basis of the kisth paid for the land, that is, the market value of agricultural land is assessed at 30 times the kisth payment made to the Government. My land may be costlier, worth lakhs and lakhs of rupees, but as per the Court Fee Act, the value is fixed at 30 times of the kisth paid. If that is so, I would prefer to pay the court fee in accordance with the Court Fee Act, because the value is fixed on the basis of the Court Fee Act. So, I would request the hon. Minister to instruct that the property should be correctly valued. In that case, it should be on the original value, either guideline value or market value. So, he should first amend the Court Fee Act. I hope the hon. Minister would not object to my suggestion. If a codified Section is there - it is codified - that the value of agricultural land should be assessed on the basis of the kisth payment, then I foresee that there is going to be an anomaly, a crisis in this particular Amendment.

">MR. CHAIRMAN : You have taken ten minutes. Your party was allowed only eight minutes. I have given two more minutes.

">SHRI T.M. SELVAGANPATHI: Sir, please be gracious to give me some more time. The issue involved is very important.

">MR. CHAIRMAN: There are nine more Members to speak.

">SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I will try to complete it.

">Even if a property is worth more, the court fee suggests the way it should be valued. Therefore, I appeal to you that this may be

scrapped.

">As per Section 18, the Bill seeks to amend a very valuable provision. In this case, a settlement is permitted. It may even be made obligatory in many of these cases. But here I see that there is no time-limit prescribed for settlement. If we say that the settlement has to be accepted, the Presiding Officer has to refer it to a Lok Adalat for an arbitration. A time has to be prescribed. Otherwise, a litigant who is interested in protracting the litigation, would make use of this provision. In the case of a compromise, he would try to evade settlement and protract the issue. Therefore, I say that the prescription of time-limit is essential.

">Section 100-A also bars a second appeal. The Chairman knows very well if a will is disputed. If a will executed by my father or grandfather is disputed, the first appeal lies with the High Court - the Single Bench. The second appeal is not allowed there. A person has to go to the Supreme Court. Why is this anomaly? It is because various High Courts in the States have different Rules of Procedure. In Delhi High Court, second appeal is not allowed. The Division Bench is not taking it. One has to go to the Supreme Court. In the Madras High Court, it is allowed. Again in the case of a judgment from a single Judge, one can prefer an appeal to the Division Bench. Therefore, there has to be uniformity throughout the nation. I call upon the Government to have a Division Bench. The second appeal should also be allowed. The hon. Minister knows that when we come to the Supreme Court for a Special Leave Petition, it is just thrown away in a minute. They do not even listen to us. They do not even hear us. Maybe they could listen a person like our hon.

">Minister or our hon. Chairman! There are a number of advocates who simply file it for the sake of filing it. It is a waste of money. They file it and in a minute, it is disposed of and the bundle is thrown away. This is the case today.

">Moreover, a majority of our litigants are poor. They cannot afford to come to Delhi because it is costly. The litigant cannot afford it. Therefore, the second appeal should be allowed in the High Court - Division Bench.

">The other point is about the examination of witnesses. It is based purely on the Evidence Act. If we allow it to go into the hands of the Notaries or the junior Advocates, I do not think that expertise will benefit the Magistrate or the District Munsif or the Subordinate Judicial Officer. They are trained in the Evidence Act. Whether there is a dispute of marking the exhibit or not, it cannot be solved there. There will arise a dispute which will ultimately result in a lot of delay.

">It is good that the Bill envisages a time-limit for Written Statement. For the plaintiff, there is a provision of Additional Written Statement. That also has to be taken into consideration.
By unearthing a fresh material evidence, a party should be allowed to file an Additional Written Statement for which an amendment has been sought. A time-limit has to be prescribed. There is Section 105 of the Limitation Act.

MR. CHAIRMAN: A time-limit of 10 minutes has been prescribed for your party. Now, you have taken 14 minutes.

SHRI M.V.V.S. MURTHI (VISAKHAPATNAM): That is why the cases are piling up in the courts. ... (Interruptions)

SHRI T.M. SELVAGANPATHI : I will wind up in a minute. I would like to draw the attention of the hon. Minister to Section 5 of the Limitation Act. It gives ample powers to the Judicial Officers. I know that there are suits in which a party gets ex parte order and he has been sleeping for almost two years. After two years, he files a petition to set aside the ex parte order and that ex parte order is also set aside after two years and subjected to litigation.

Again he goes as ex parte and maybe on some flimsy reasons he projects a petition and it is allowed in the Limitation Act. The hon. Minister may take a note of all these things and also a provision is made to award compensation on a punitive action in the injunction suit.

There are cases where legitimate demand is made. There are cases where responsible allegation is made. In such types of cases you cannot make it mandatory to provide compensation or provide punitive action. Therefore, it should be left to the discretion of the court.

With all this, my humble submission is that the Law Ministry instead of striving for a piecemeal legislation should do something. If it cannot be done now, it can never be done, if such is the menace now as far as civil litigation is concerned.

I welcome this Bill and say that a piecemeal legislation is brought before this House. I expect the Government to come with a comprehensive legislation. Thank you.

">श्री चन्द्र भूषण सिंह (फर्रुखाबाद) : माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। हमारे गांव में एक कहावत है जिसकी ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा - बाप की करनी बेटा भुगते। वही इस समय न्याय के मामले में हिंदुस्तान में हो रहा है। इस समय दो करोड़ आठ लाख केसिज विभिन्न कोर्टस में पैंडिंग हैं और दुर्भाग्य यह है कि मैं जिस प्रदेश से आता हूं उसका नाम उत्तर प्रदेश है, वहां की हाई कोर्ट में मौजूदा वक्त में ८,६५,००० मुकदमे पैंडिंग हैं। सिक्किम एक ऐसा राज्य है जिसमें मात्र ९९ केसिज पैंडिंग हैं। लेकिन हमारा उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा दुर्भाग्यशाली है जिसमें साढ़े आठ लाख से ज्यादा केसिज पैंडिंग हैं। जो आपकी कमेटी ने रिपोर्ट दी है उसमें हाई कोर्ट के जनेज के ऊपर १३६७ केसिज का एवरेज आता है। यह भी दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान के सर्वोच्च न्यायालय में बीस हजार केसिज पैंडिंग हैं। अमूमन एक मुकदमे में १० से १५ वर्ष का वक्त लगता है और ऐसे में जो सबसे बड़ी कठिनाई होती है वह मैं विशेष तौर से निवेदन करना चाहता हूं। इसमें जिस किसी के ऊपर मुकदमा चलता है, उसका समय और पैसा बरबाद होता है। होता यह है कि जिसके पास पैसा होता है उसकी तो जमानत हो जाती है और जिस बेचारे के पास पैसा नहीं होता है, उसका पूरा समय जेल में बीतता है। इसका नतीजा यह होता है कि अपराधी रुपये खर्च करके छूट जाते हैं और बाहर आकर पुनः अपराध करते हैं। इसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि कानून के प्रति लोगों का भय कम होने लगा है, जिसके कारण अपराधों में बढ़ोतरी हो रही है।

">

">सभापति महोदय, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि इस समय हिंदुस्तान में जितने दीवानी मुकदमे हैं, उनमें सरकार एक पक्ष है, जिनमें ६५ फीसदी केसिज सरकार द्वारा लड़े जा रहे हैं। इनमें सरकार अपना पक्ष रखती ही नहीं है और अमूमन यह देखा जाता है कि ९० फीसदी मामलों में सरकार मुकदमे हारती है। इस प्रकार मैंने यह देखा है कि जो भी विलम्ब होता है उसका मुख्य कारण सरकार और सरकार द्वारा नामित वकील होते हैं। जो अपने केसिज की पैरवी नहीं करते हैं और मुकदमों को आगे बढ़ाते चले जाते हैं।

">

">समापति महोदय, मैं आपको यह भी बता देना उचित समझता हूं कि विगत दिनों हमारे होम मिनिस्टर साहब ने एक मौखिक बात कही थी कि बलात्कार के मामले में फांसी की सजा दी जाए। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि बलात्कार के मात्र १५ से २० फीसदी केसिज रजिस्टर होते हैं और उनमें से अमूमन सिर्फ तीन फीसदी केसिज में सजा होती है। महोदय, रोजाना अमेंडमैंट करने से कुछ बनने वाला नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि इन केसिज को जल्दी से एक्मीडाइट करवायें। यदि आदमी को जल्दी न्याय मिलने लगे तो निश्चित मानिये कि जितने कानून आपने बना दिये हैं, वे हिंदुस्तान की न्याय व्यवस्था को चलाने के लिए पर्याप्त हैं। कभी-कभी आप पर और आपकी सरकार के ऊपर ऐसी भी दिक्कत आती है।। लेकिन वह मामला ठंडे बस्ते में सिर्फ इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि आपके साथ उनकी अलायंस है, आपकी पार्टी के साथ उनकी कोई अलायंस है।

">

">समापति महोदय, मैं चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं।

... (व्यवधान)
">

">MR. CHAIRMAN : I appeal to the hon. Member not to mention the name of any former Member of the House.

">SHRI CHANDRA BHUSHAN SINGH (FARRUKHABAD): Thank you, Sir. I withdraw my words.

">समापति महोदय, मैं चार-पांच सुझाव देना चाहता हूं। लोक अदालतों की व्यवस्था बहुत अच्छी है और लोक अदालतें चल भी रही हैं। इनको और प्रभावी बनाया जाए, तो बहुत सारे मुकदमे आसानी से निपट सकते हैं। पारिवारिक झगड़ों को निपटाने हेतु यदि विशेष अदालतों का निर्माण कर दें, तो छोटे-मोटे मामलों का निपटारा किया जा सकता है। न्यायिक अधिकारी यदि विलम्ब करता है और यह प्रमाणित हो जाए कि न्यायिक अधिकारी के कारण किसी मुकदमे का फैसला समय पर नहीं हुआ, तो उसकी गोपनीय चरित्रावली में उसका उल्लेख किया जाए।

">

">समापति महोदय, मैं यह निवेदन भी करना चाहूंगा कि जो भी सरकारी वकील नामित किए जाएं वे कर्तव्य-परायण और अपने कर्तव्य के प्रति जागरुक हों ताकि सरकारी मामलों में अच्छे ढंग से पैरवी कर के केसेस को जल्दी निपटा सकें। इसके साथ ही महोदय यह भी आवश्यक है कि मुकदमों का वर्गीकरण किया जाए, ताकि जो इम्पौर्टेंट केसेस हों, उनको जल्दी डिसपोज-आफ किया जाए और जल्दी न्याय दिलाया जाए। इसके साथ ही एक निवेदन और करना चाहूंगा कि हाईकोर्ट के सामान्य वर्किंग डेज १८० होते हैं और कोर्ट चार-पांच घंटे काम करते हैं, वह ८ घंटे किए जाएं। जो अन्य सिविल कर्मचारियों की सामान्य व्यवस्था है जिसके अनुसार उन्हें ८ घंटे काम करना होता है, कोर्टों को भी उसी के अनुसार ८ घंटे का काम करना चाहिए, ऐसी व्यवस्था की जाए।

">

">महोदय, सुप्रीम कोर्ट गर्मियों में दो महीने और सर्दियों में १५ दिन बन्द रहती है। यह अंग्रेजों के समय में तो ठीक था, क्योंकि वे सर्द मुल्क के थे, उनको गर्मी ज्यादा लगती थी, लेकिन अब क्या काले अंग्रेजों, यानी हिन्दुस्तानियों को भी गर्मी लगता है? यदि ऐसा है, तो उन्हें हिन्दुस्तान छोड़कर विदेश चले जाना चाहिए। मेरी मांग है कि यह छुट्टियों वाली व्यवस्था बन्द होनी चाहिए और जिस प्रकार से सिविल सर्विस के कर्मचारी काम करते हैं, वैसा होना चाहिए।

">

">----------

">। अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

">

">समापति महोदय, अभी श्री प्रभु नाथ सिंह जी ने कहा कि यदि आपने ओथ कमिश्नर को साक्षय रिकार्ड करने के लिए नामित कर दिया और यदि वे साक्षय लेने लगे, ठीक नहीं रहेगा, यह बात बिलकुल ठीक है। ओथ कमिश्नर तो वही व्यक्ति होते हैं जिनकी वकालत नहीं चलती और जिनको शाम तक चाय के पैसे भी नहीं मिलते। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि इस प्रक्रिया को लागू न करें। पूर्व न्यायाधीश श्री सव्यसाची मुखर्जी ने एक बात कही थी कि एक निगरानी समिति बनाई जाए और उसमें सेवामुक्त प्रख्यात न्यायाधीशों की समिति बने। ताकि लोगों को ईमानदारी से न्याय मिल सके और इसमें होने वाले भ्रष्टाचार को रोका जा सके। यदि ऐसी कमेटी बना दी जाएगी, तो न्याय के क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकेगा और लोगों को सामान्य तरीके से न्याय मिल सकेगा।

">

">समापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत शुक्र गुजार हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। इन्हीं चन्द सुझावों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

">

">श्री. रासा सिंह रावत (अजमेर) : मान्यवर सभापति जी, मैं, विधि मंत्री जी द्वारा सदन में प्रस्तुत सिविल प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १९९९ का प्रबल समर्थन करता हूं। सिविल प्रक्रिया संहिता में और संशोधन करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। इसके साथ-साथ महोदय सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८ परिसीमा अधिनियम, १९६३ और न्यायालय शुल्क अधिनियम, १८७० में और संशोधन करने वाले विधेयक को प्रस्तुत करने का यहां प्रयास किया गया है।

">

">मैं कहना चाहूंगा कि एक लोकतांत्रिक देश और कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक है कि वहां की जनता को सस्ता, सहज, सुलभ और शीघ्र न्याय मिल सके। मुझे खेद के साथ कहना प्रड़ रहा है कि आज हमारा न्याय महंगा हो गया है। इसलिए मैं आपके माध्यम से माननीय विधि मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है और आपने स्वयं स्वीकार किया है कि न्यायिक सुधारों की अत्यंत आवश्यकता है और न्यायिक सुधारों की दृष्टि से, मुकदमों को जल्दी निपटाने की दृष्टि से और जनता को न्याय शीघ्र उपलब्ध कराने के लिए जब आप सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर इतने संशोधन लेकर आये हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अब न्यायिक आयोग का गठन भी शीघ्र किया जाये क्योंकि सारे देश के अंदर इसकी एक प्रकार से मांग उठ रही है।

">

">लोकतंत्र के तीन अंग हैं-- कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। जब तीनों अंगों के अंदर सुचारू रूप से और समग्र रूप से कार्य संचालित नहीं होता है, तब समाज के अंदर कोई न कोई विडम्बना पैदा हो जाती है। आज मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि न्यायपालिका में निचले स्तर पर जैसा हमारे बंधुगण कह रहे थे कि भ्रष्टाचार व्याप्त होने लग गया है और स्वयं वकील ध्यान रखते हैं कि कौन से मजिस्ट्रेट के बैठने से फैसला उनके हक में हो सकता है। हाई कोर्ट में तो मैंने यह स्थिति देखी है कि कौन से जज साहब विराजे, तो अपना मुकदमा उनके सामने, उनकी लिस्ट में आ जाये, अन्यथा वे उस पर तारीखें लेने की कोशिश करते हैं या टालने की कोशिश करते हैं। यह स्थिति बड़ी भयावह है।

">

">आपने सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर संशोधन लाने के लिए ग्यारहवीं लोक सभा में गठित अधीनस्थ विधान संबंधी समिति की सिफारिशों को माना है, भारत के विधि आयोग की १२९वीं रिपोर्ट को भी ध्यान में रखा है और न्यायाधीश वी.एस.मलिमत की रिपोर्ट को कार्यान्वित करने की दृष्टि से भी आपने इसमें कुछ परिवर्तन किये हैं। जब आपने इन सारी को ध्यान में रखा है तो मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगा कि अब समय आ गया है जब हमारे कानूनों की पेचीदगी को दूर करके इन्हें थोड़ा सरलीकृत किया जाये ताकि जनता को न्याय सहज प्राप्त हो सके।

">

">मान्यवर, हमारा इस बात का अनुभव है कि गांव का गरीब दूर से भाड़ा लगाकर तारीख पर जाता है तो वहां पता लगता है कि वकील लोग हड़ताल पर हैं। वकीलों की हड़ताल १५-२० दिन या एक-एक महीने तक चलती है। मैं कहना चाहता हूं कि वकीलों के लिए भी कोई आचार संहिता हो। उनकी जो एसोसियेशन होती है, उनकी तरफ से तय होनी चाहिए कि अगर मुवक्किल गांव से इतना किराया भाड़ा लगाकर तारीखों पर बार-बार उपस्थित होता है, मजिस्ट्रेट साहब उसको बार-बार तारीख देते हैं और वकीलों की हड़ताल लम्बी चलती है तो परिणामस्वरूप वह बेचारा जिसने न्याय प्राप्त करने के लिए न्याय के दरबार में हाजिर होता है, उसे कितनी परेशानी और असुविधा का सामना करना पड़ता है। अभी हमारे मित्र कह रहे थे--

">

">Justice delayed is justice denied.

">न्याय में अगर विलंब किया जाता है तो समझ लीजिए कि न्याय से इंकार किया जाता है।

">

">सभापति जी, यह भी कहावत है कि

">

">Justice hurried is justice buried. Justice hurried is justice worried.

">अगर न्याय जल्दी किया जाता है तो कुछ चिंताजनक स्थिति भी पैदा हो जाती है। इसलिए दोनों चीजों के अंदर समन्वय होना चाहिए। आपने इसमें जो सुधार लाने का प्रयास किया है, उसमें इन बातों का ध्यान रखा है। मैं चाहूंगा कि धन, समय और शक्ति की बर्बादी न्याय प्राप्ति के अंदर कम से कम हो।

">

">इसी तरह एक विधिक सहायता सैल बना थी। छोटे न्यायालयों के अंदर लड़ने के लिए यदि गरीबों के पास पैसा नहीं है, उनकी तरफ से वकालत करने के लिए, गरीब सहायता प्राप्त कर सके। इसके लिए एक विधिक सहायता समिति जिला स्तर पर बनी थी। मैं कहना चाहता हूं कि उसको थोड़ा शक्तिशाली बनाया जाये ताकि वे गरीब को आसानी से सहायता प्रदान कर सके। इसके साथ न्यायालयों के जो भवन हैं, उनकी स्थिति भी थोड़ी दयनीय है। उनकी दशा सुधारने की तरफ भी ध्यान दिया जाये। लिटीगेंटस के लिए शेड वगैरह जो कोर्ट में बनाना चाहते हैं, उनको बनाने की न्यायालयों की तरफ से आज्ञा मिले। न्यायाधीशों की संख्या को थोड़ा बढ़ाया जाये क्योंकि उनके अनेक स्थान रिक्त हैं। इनकी तरफ ध्यान आकर्षित करते हुए मैं इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि सर्वसम्मति से इसे पारित किया जाये। धन्यवाद।

">

">MR. CHAIRMAN : Shri Pravin Rashtrapal - Not present.

">Shri A.C. Jos - Not present.

">Shri M.O.H. Farook - Not present.

">1700 hrs.

">श्री सुरेश रामराव जाधव (परभनी) : सभापति महोदय, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर (अमैंडमैंट) बिल का मैं और मेरी पार्टी समर्थन करती है। इस अमैंडमैंट बिल पर सदन में विस्तार से चर्चा हुई है। जब प्लैनटिफ कोर्ट में स्यूट दाखिल करता है, डिफैन्डैंट के खिलाफ कोई क्लेम दाखिल करता है, चाहे लोअर कोर्ट हो, डिसट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसे जल्दी और इम्पार्शल जस्टिस मिलना जरूरी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे हिन्दुस्तान में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा केसेस पैंडिंग हैं। इसकी तरफ भी सरकार को गौर करना चाहिए क्योंकि ठ

">

">Justice delayed is justice denied".

">यदि न्याय मिलने में देर हो गई तो न्याय मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता।

">

">इस बिल के पृष्ठ संख्या ६ में नियम १४(३) के अंतर्गत लिखा है - जहां इस नियम के अधीन वाद पत्र के साथ कोई दस्तावेज या उसकी प्रति फाइल नहीं की जाती है

वहां उसे वाद की सुनवाई के समय वादी की ओर से साक्ष्य में ग्रहण किए जाने के लिए अनुज्ञात नहीं किया जाएगा। जब प्लैनटिफ डिफैन्डैंट के खिलाफ कोर्ट में स्यूट दाखिल करता है, बहुत से दस्तावेज ऐसे होते हैं जिन्हें वह स्यूट दाखिल करते समय हासिल नहीं कर पाता, वे बाद में मिल सकते हैं। मैं कानून मंत्री से विनती करता हूं कि जब वादी हियरिंग के लिए जाए तब प्लैनटिफ को दस्तावेज दाखिल करने की अनुमति मिले, इस पर भी गौर करना चाहिए।

">

"श्लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में केन्द्र सरकार का मुकदमा हो या राज्य सरकार का मुकदमा हो, ज्यादा से ज्यादा सरकारी मुकदमे सरकार के खिलाफ जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, यह भी गौर करने की बात है। वादी जब केस हियरिंग के लिए आता है तो उसे कोई भी डौक्यूमैंट दाखिल करने की अनुमति होनी चाहिए। इतना ही सुझाव देकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

">

"श्डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : सभापति महोदय, मशहूर राजनीति के विद्वान प्रो. लास्की ने कहा है कि जो व्यक्ति जिस विषय का विशेषज्ञ होता है, उसको उस ि वभाग का मंत्री बना दिया जाये तो वह विफल हो जाता है, काम को गड़बड़ा देता है।

">

"श्विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री राम जेठमलानी) : यह लास्की ने नहीं कहा है, आपने कहा है।

... (व्यवधान)
">

"श्डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : हम किसलिए कहेंगे, लास्की ने कहा है, आप इसकी छानबीन कर लें।

">

"श्मैं वैसा नहीं चाहता हूं। माननीय कानून मंत्री नामी वकील हैं। कोई मामला जब किसी वकील से नहीं संभलता तो ये संभाल लेते हैं। किसी को वकील नहीं मिलता तो वैसे मामले ये लेते हैं। मंडल आयोग वाले मामले में, आरक्षण वाले मामले में भी ये हम लोगों की तरफ से, सरकार की तरफ से वकील थे। इनका कीर्तिमान बहुत अच्छा है, इसलिए हम अपेक्षा करते हैं कि ये अच्छे-अच्छे कानून लाएंगे, जिससे न्याय जल्दी से मिल सके। गरीब आदमी को कम खर्च वाला न्याय जल्दी से मिलेगा, न्याय बिकेगा नहीं, न्याय बेचा नहीं जायेगा, न्याय खरीदा नहीं जायेगा, न्याय मिलेगा, इनसे ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। चूंकि ये काबिल आदमी हैं, इससे तो अच्छा था कि पहले ये घर वाले मंत्री थे, अर्बन डवलपमेंट मिनिस्ट्री के अच्छे मंत्री थे, हम लोगों के बारे में लिखा-पढ़ी कर रहे थे कि एम.पी. लोगों को घर मिल जाये, लेकिन अब मिलने वाला नहीं लगता है, अब उस मिनिस्ट्री के मंत्री बदल गये तो हम लोगों का नुकसान हो गया। संसदीय कार्य मंत्री सुन रहे हैं, एम.पी. लोगों को घर मिलने का मामला आगे बढ़ गया था, जब कानून मंत्री जी उस समय अर्बन डवलपमेंट के मंत्री थे। खैर, अब वे देखेंगे।

">

सी.पी.सी. का संशोधन आया है, इसमें सदन चिन्तित है कि दो करोड़ आठ लाख मामले विभिन्न अदालतों में देश भर में लम्बित हैं, अभी माननीय सदस्य इसका हिसाब बता रहे थे। हाई कोर्ट में ३२ लाख मामले लम्बित हैं, जजों की कमी है। न्यायपालिका का दावा है कि हम तो ठीक काम कर रहे हैं, सरकार का कसूर है। जजों की कमी है या उनको सहूलियत सुविधाओं की कमी है, इस वजह से न्याय मिलने में देरी होती है। सरकार का कहना है कि नहीं, प्रक्रिया कुछ गड़बड़ है। इसके चलते क्या पेच है, लेकिन मिला-जुलाकर जो पीड़ित लोग हैं, आम लोग हैं, उनको न्याय मिलने में देरी होती है, पता नहीं किसने कहा, लेकिन बहुत प्रचलित कहावत है ठनस्टिस डिलेड इन जस्टिस डिनाइड'' वाली ठीक बात है। देखा गया है कि १५-१५, २०-२० वर्ष तक मामले चलते रहते हैं, लोग दौड़ते रहते हैं, फीस देते रहते हैं, खर्च करते रहते हैं और लोग परेशान हो जाते हैं। इसीलिए १९९७ में विधि मंत्रियों का सम्मेलन हुआ, लॉ कमीशन की भी रिपोर्ट आई। यह अच्छा प्रयास हुआ कि यह संशोधन लाये, इससे बहुत तो दा वा नहीं किया जा सकता कि मामला जल्दी निपट जायेगा और लम्बित मामले जल्दी समाप्त हो जायेंगे, फिर भी उस तरफ यह अच्छा प्रयास है, स्वागतयोग्य प्रयास है, प्र ाशंसनीय प्रयास है, जिससे मामले में समय कम लगे और लोगों को सहज में न्याय मिले।

असली न्याय वह है जो सहज में मिले। उस पर जो सारे क्लाज इन्होंने दिये हैं, उसमें इसकी कोशिश की गई है। हम लोगों को जो व्यवहार में जानकारी है, जब कोई मामला होता है या नोटिस होता है तो जिस खिलाफ पार्टी को नोटिस सर्व करना होता है, वह पोस्ट आफिस में जाता है, वह पत्र कोई प्राप्त नहीं करता है, वह वापस आ जाता है। जो नोटिस लेकर कोर्ट से चपरासी नोटिस देने जाता है तो वह उसको लोगों को नहीं दे पाता, क्योंकि कभी-कभी घरवाले भी नहीं रहते तो वह टांगकर चला आता है। पिटीशनर कभी-कभी नोटिस भी मरवा देता है। इस नोटिस देने में ही बहुत विलम्ब हो जाता है। लेकिन इस क्लाज में हमने देखा है कि कोशिश हुई है कि नोटिस पार्टी को जल्दी सर्व हो जाये और जल्दी से उनका अर्जी दावा और उनरदारी दाखिल हो सके, इसलिए यह सारा अच्छा प्रयास है। हमने इसमें देखा कि न्याय की प्र क्रिया में समय कम लगेगा। लेकिन जजों की बहाली वाला काम तो सरकार का है। लॉ कमीशन कहता है कि जजों की संख्या इससे पांच गुना बढ़नी चाहिए, कहीं देखा कि जजों की संख्या ५,००० बढ़नी चाहिए, उनकी इतनी बहाली होनी चाहिए। ये जगह खाली क्यों हैं, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है?

कानून बनाने से क्या होगा? अगर जजें कम रहेंगे तो सही में जल्दी-जल्दी फैसला कैसे होगा। चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या निचली अदालतों में मजिस्ट्रेट लोग हों

... (व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : जज तो सुना था, यह ठनजें'' क्या होता है?

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : जज का बहुवचन है। इस कानून में जो संशोधन होने जा रहा है, केस लड़ने वाले लोग उसको देखेंगे, लेकिन जजों की नियुक्त शीघ्र हो। उसमें जो अभी तक गड़बड़ी हो रही है, पैरवी पर बहाली वाला जो मामला है, अब जज भी पैरवी पर बहाल हो रहे हैं, वकील तो होते ही हैं। पहले नामी-गिरामी वकील बहाल किए जाते थे, लेकिन अब पैरवी पर आर.एस.एस. के ज्यादा लोग बहाल किए जा रहे हैं। सरकार भी कभी-कभी ज्यादा समय ले लेती है, जब वह किसी मामले में पार्टी होती है। हमारा कहना है कि ज्यूडिशियल कमीशन से बहाली होनी चाहिए। जजों के जो लड़के-लड़कियां हैं, उनकी पैरवी पर बहाली हो जाती है। इससे कैसे हम अपेक्षा करें कि न्याय ठीक मिलेगा। इसलिए जजों की नियुक्ति सही हो, कमीशन से हो और उसमें आरक्षण की भी व्यवस्था होनी चाहिए।

खान और खनिज मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो. रीता वर्मा): जब मुख्य मंत्री की पत्नी मुख्य मंत्री हो सकती है तो जजों के बेटा-बेटी जज क्यों नहीं बन सकते।

डा. रघुवंश प्रसाद सिंह : ये लोग आरक्षण के खिलाफ हैं, पिछड़ी जाति वालों के खिलाफ हैं। महिलाओं को आरक्षण देने के भी खिलाफ हैं। असली तो हम लोग हैं। हमारे नेता लोहिया जी डटकर कहा करते थे कि महिलाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। हम लोग उसके पक्षधर हैं। हम अपेक्षा करते हैं कि मामले जल्दी-जल्दी निपटें, न्याय सस्ता और सहज मिले तो लोगों की परेशानियां घटेंगी। न्याय सस्ता, सुलभ और सहज हो जाएगा, तब लोगों की कठिनाई दूर होगी।

मैं यह भी अपेक्षा करता हूं कि सी.पी.सी. में आप संशोधन लाए हैं, सी.आर.पी.सी. और आई.पी.सी. में भी संशोधन लाएं, जिससे दीवानी मुकदमें जो सिविल के हैं तथा फौजदारी मुकदमें हैं, उनमें जो त्रुटियां हैं, वे दूर हो सकें। इसलिए हम चाहेंगे कि चाहे दीवानी मामले हों या फौजदारी मुकदमें हों, दोनों में सहज न्याय लोगों को मिले।

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, I have heard with great attention all the speeches that have been made by hon. Members. Some hon. Members, very rightly, have left the subject of Civil Procedure behind and made other suggestions which are very valuable. Sir, just to save time today - because I am most anxious that this Bill be passed today before 5.30 p.m. - I can only assure them that every suggestion that has come from them will be considered at the proper time when we are considering legislation on other topics like the Criminal Procedure Code and other things. Some of the suggestions related to criminal law and we are about to amend the Criminal Procedure Code and bring a lot of other changes.

">I have never pretended - when I moved this Bill - that this is a final solution of the problem with which we are dealing. This is a hundred year old disease and there are no quick fixes. I do not pretend that the moment you pass this and this becomes law, our problems will be solved and people will get speedy justice. No. All that I claim is a very modest claim that this is a welcome step, this is a necessary step but this is a modest step in the direction in which we wish to go.

">If you pass this, there are a lot of other steps which have to be taken and I am conscious of those steps and be sure that one of the major steps that is to be taken is the appointment of more judges.

">It is well-known that if a job cannot be accomplished by two persons, then you have to put more men on the job. This will be done. What is troubling us is the fiscal resources which are necessary for paying salaries, for putting inexistence court houses , other infrastructure, bailiffs, process-servers and so on and so forth.

">The subordinate judiciary is a matter of concern for the State Governments and the local High Courts. We are impressing upon the State Governments that they have to carry out the proposals which have been made by various expert committees.

">Sir, one or two objections were raised, and I wish to deal with them in two minutes. One of my friends objected that we are abolishing the right of appeal. We are not abolishing the right of appeal. What we are abolishing is the right of second appeal in petty cases. We are only taking away one intermediate appeal. The second appeal, Sir, even otherwise, lies on point of law only, and it does not lie on issues of fact. There has been a provision in the Code of Civil Procedure, from time immemorial, that if Rs. 3,000 or less is the value, then there shall be no second appeal. Now, bearing in mind the value of money today, we are increasing that amount of Rs. 3,000 to Rs. 25,000. Now, Sir, in matters of this kind, there is always some arbitrariness, some unreasonableness, some intelligent guess-work. If you put it at Rs. 25,000, then somebody will say, "Why not Rs. 24,000 or Rs. 26,000?" You cannot logically justify these things. You will have to leave these matters to the experts. Each provision, each clause in this Amendment Bill is the handiwork of expert committees -- not one, not two, but sometimes, three and four. Let us leave this matter to the experts and, to some extent, I also claim to be an expert, and I heartily recommend this Bill to be passed. If you pass it, I think, Sir, we will have gone a long way in solving the kind of problems we have.

">Be sure that we have the interests of the poor man in mind. Somebody said, "How can you ask for security?" The court has been given the power because the court can, sometimes smell that `this man is coming with a frivolous case; I am making an interim order because I have not got the other side before me. I will, at least, take security from him. If it turns out that he has come to court with a false case, then I will ask him to first give security." But Sir, security is not compulsory. When the Judge sees a poor man, he may not ask for security. There is no question of any deposit because the words used are "take security or otherwise". Therefore, there is a judicial discretion, but we have given the power to ask for security.

">I am very grateful to my friend, Shri Bansal, for the speech which he made on that day, and in which he made elaborate suggestions. One of the things which you objected to is about clause 31. Now, that clause 31 was removed in the Rajya Sabha. Unfortunately, you had the wrong text. That does not exist any longer. So, be sure that that provision has gone. It is because of the renumbering that you still see clause 31. But Rajya Sabha had already removed it. So, your wisdom was anticipated by the Rajya Sabha, and we have already removed it.

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Was it under rules 17 and 18?

">SHRI RAM JETHMALANI: We said, "Within seven days, one should file a suit". You have very rightly objected to it. The Rajya Sabha saw to it and we removed that clause, but because of renumbering, clause 31 still exists now in the new. It is old clause 32 which has now become clause 31. So, what you are objecting to has gone. Be sure about it.

">Sir, I do not wish to make a long speech. My Prime Minister himself is extremely exercised about it. The other day, in addressing a meeting of very distinguished lawyers and distinguished Judges of the Supreme Court, my Prime Minister made the very same point which was made by one of the Members here. I am aware that many a time delays are caused by the Government itself. There is an urgent need to curb that strong appetite in departments and the lawyers representing them for casual litigation and for wasting Government money. So, we are aware that we ourselves are the cause of our delays in our courts. Fifty to sixty per cent of the litigation is caused by the unreasonableness of bureaucrats. We are trying to remove it. We will see to it that that prolific cause of delay is removed.

">Sir, to save time, please spare me from a long speech today. I assure you that, within a year, you will find the legal system in a much better shape than you find it today.

">MR. CHAIRMAN : The question is:

">"That the Bill further to amend the Code of Civil Procedure, 1908, the Limitation Act, 1963 and the Court Fees Act, 1870, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

">The motion was adopted.

">--------

">MR. CHAIRMAN : Now, the House will take up clause-by-clause consideration.

">MR. CHAIRMAN : The question is:

">"That clauses 2 to 15 stand part of the Bill."

">The motion was adopted.

">Clauses 2 to 15 were added to the Bil.

">-------

">Clause 16

">MR. CHAIRMAN: Shri Pawan Kumar Bansal, are you moving your amendment?

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL (CHANDIGARH): Sir, I beg to move:

">Page 5,-

">for line 36,

">substitue "(iii) for rule 18, the following rule shall be substituted, namely:-

">`If a party who has obtained an order for leave to amend does not amend accordingly within seven days from the date of the order, he shall not be permitted to amend after the expiration of such seven days"."

">THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI RAM JETHMALANI): Sir, I would appeal to my learned friend not to press his amendment because he is moving an amendment to a clause which does not exist.

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : No, this is a different thing. The present amendment relates to order VI rules 17 and 18. That is regarding the amendment of pleadings.

">SHRI RAM JETHMALANI: Rule 18 is consequential on rule 17. When rule 17 itslef is being repealed then ... (Interruptions) I understand that you want rule 17 to be repealed ... (Interruptions)

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : No, let me make my point clear. Maybe, I agree with you finally then. Perhaps, my amendment has not been understood correctly.

">Sir, first the hon. Minister wants to delete both rules 17 and 18 of order VI which deal with the amendment of pleading. My amendment is to the effect that rule 17 should remain and there should be a little modification in the existing rule 18. So, technically there is nothing wrong with my amendment as such. But if the hon. Minister wants to assure us that that aspect will be taken care of, then I I have no problem.

">SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I wish to assure the House and the hon. Member that all the Expert Committees have reported that these rules 17 and 18 are redundant. The power now is lodged in section 153 of the Civil Procedure Code and section 148 is the general provision which gives one the time for extension.

">MR. CHAIRMAN: Shri Bansal, are you moving your amendment?

">SHRI PAWAN KUMAR BANSAL : Sir, this is an important thing. Let the hon. Minister clarify the point.

">Sir, now that he has assured us about it , in view of that I do not press my amendment.

">MR. CHAIRMAN: Is it the pleasure of the House that the amendment moved by Shri Pawan Kumar Bansal be withdrawn?

">The amendment was, by leave, withdrawn.

">Now, the question is:

">"That clause 16 stand part of the Bill".

">The motion was adopted.

">Clause 16 was added to the Bill.

">Clauses 17 to 34 were added to the Bill.

">MR> CHAIRMAN : The question is :

">"That clause 1, and Enacting formula

">and Title stand part of the Bill

">The motion was adopted.

">Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

">---

">MR. CHAIRMAN: Now, the Minister may move that the Bill be passed.

">SHRI RAM JETHMALANI: Sir, I beg to move:

">"That the Bill be passed."

">MR. CHAIRMAN: The question is:

">"That the Bill be passed."

">The motion was adopted.

">----